HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 131/2026

Anju Devi Wife of Narendra Chaudhary, Resident of Plot No. 3-A, Azad Nagar, Kamla Nehru Nagar, Ajmer Road, Jaipur. (Raj).

----Complainant/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Commissioner of Police, Jaipur (Raj).
3. Deputy Commissioner of Police, Jaipur (West), Jaipur (Raj).
4. Station House Officer, Police Station Bindayaka, District Jaipur (West), Jaipur (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Purushottam Lal Hissaria, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA
Mr. Shubham Sain, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

17/02/2026

1. याची/परिवादिया की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **220/2025,** पुलिस थाना– **बिंदायका,** जिला– **जयपुर(पश्चिम),** अपराध अंतर्गत धारा **316(2), 318(3), 318(4), 351(2), 351(3), 79, 61(2) भारतीय न्याय संहिता** के निष्पक्ष, प्रभावी व शीघ्र अनुसंधान की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची/परिवादिया का कथन है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **220/2025** में प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, अतः प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिये जावे कि प्रकरण में यथाशीघ्र प्रभावी एवं निष्पक्ष अनुसंधान की कार्यवाही करे।

3. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शीघ्र, प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से अनुसंधान किया जा रहा है एवं साथ ही कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sakiri Vasu Vs. State of Uttar Pradesh, AIR 2008 Supreme Court 907** के अनुसार अनुसंधान के पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को उपलब्ध है फिर भी याची/परिवादिया को यदि कोई व्यथा है तो वह संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

4. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sakiri Vasu (Supra)** के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय को अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता प्राप्त है, ऐसी स्थिति में यदि याची/परिवादिया को उक्त अनुसंधान के संदर्भ में कोई व्यथा है तो वह संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

6. याची/परिवादिया की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करेंगे।

7. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है।

8. प्रकरण से संबंधित यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र लंबित हों, तो वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J